39- अचल सम्पत्ति के दान का विलेख

(विस्तृत प्रपत्र)

दान का यह विलेख आज 20.....के.....के.....दिन क ख, आयु.....वर्ष आदि (जिसे आगे 'दाता' कहा गया है) और जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है तथा ग घ आयु.....वर्ष आदि (जिसे आगे चलकर 'आदाता' कहा गया है) और जो कि इस करार का दूसरा पक्षकार है, और चूंकि दाता आगे चलकर संलग्न अनुसूची में पूर्ण रूप उल्लिखित तथा वर्णित निवास–गृह (messuages), भूमि टेनमेंट (tenament), पैतृक–गृह (hereditaments) तथा भू–गृहादि जो.....नगर.....में..... ..रोड पर स्थित है और जिसका मूल्य केवल.....रुपये (.....रु0) है, का पूर्ण रूपेण स्वामी है। और चूँकि उक्त ग घ दाता का चचेरा/ममेरा भाई है और वह दाता के पास सात वर्ष की आयु से रह रहा है और दाता के हृदय में आदाता के प्रति अति प्रेम और स्नेह (affection) है और उक्त प्रेम और स्नेह के कारण दाता आगे उल्लिखित रीति के अनुसार उक्त निवास गृह, भूमि, टेनेमेंट, पैतृक–गृह

तथा भू–गृहादि का निस्तारण करने को इच्छुक है। अब यह दान का विलेख साक्ष्य है कि उक्त आशय (intention) तथा दाता के आदाता के प्रति प्राकृतिक प्रेम तथा स्नेह के प्रतिफल स्वरूप दाता ने अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी कपट के, उत्पीड़न (coercion) या असम्यक् असर (undue influence) के और अपने पूरे होश में उक्त आदाता को..... वर्गफुट की नाप के, जो कुछ कम अथवा अधिक ही हो सकती है, दुमंजिला पक्का मकान तथा सभी वाह्य–गृह (out-houses), गैरज और उक्त निवास–गृह, टेनेमेंट, भूमि, पैतृक–गृह या भू–गृहादि से सम्बन्धित सभी प्रकार के विशेषाधिकार, लाभ, प्रलाभ (advantages) तथा सभी अन्य अनुलग्नकों उक्त आदाता के पक्ष एतद्द्वारा देता, हस्तान्तरण (convey), प्रदान (grant), अन्तरण और पुष्टि (confirm) करता है, जिससे कि एतद्द्वारा दान में दिये हुए उक्त निवास–गृह, टेनेमेन्ट, भूमि, पैतृक–गृह या भू–गृहादि को आदाता रख और धारण कर सके और उनका सदैव तथा पूर्ण रूप से उपयोग कर सके : और यह कि उक्त आदाता भविष्य में समय–समय पर और सदैव शान्तिपूर्वक और निश्चल रूप से (quietly) एतद्द्वारा दान में दी गयी सम्पत्ति में प्रवेश, कर सकेगा और उसे रख, तथा धारण कर सकेगा और उस पर दखल, कब्जा और उसका उपयोग कर सकेगा और उनके या उनके किसी भाग के दाता या उसके द्वारा किये गये न्यास के अधीन किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से अथवा उनके द्वारा किये गये दावों से बिना विघ्न पाये, भाटक, उपज (issues) तथा लाभ को प्राप्त करेगा और लेगा। उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप उक्त दाता ने ऊपर प्रथम बार उपरिलिखित दिन, मास और वर्ष को साक्षियों के सामने अपना हस्ताक्षर कर दिया है। दान की गयी अचल सम्पत्ति की अनुसूची

साक्षी :–

(1) (हस्ताक्षरित) क ख

(2) दाता